


### क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा चक नं० 3 एस.एस.डब्ल्यू के प०न० 169/292 मु० 25 किला नं० 16/1 में दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम 15 फुट चौड़ा व 140 फुट लम्बा यानि .019 हे० रास्ता स्वीकृत किया जाता है व रास्ता की भूमि के बदले में प०न० 169/292 मु० 25 किला नं० 17 में पूर्वी दिशा की तरफ 14 गुणा 150 फुट यानि .019 हे० पूर्वी दक्षिणी कोना .002 हे० छोड़कर अप्रार्थी के खाते में दर्ज करने व प्रार्थीगण के हिस्सा से भूमि कम करने व राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत शुदा रास्ता का गै०मु० रास्ता के रूप में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक रहन होने की स्थिति में रकबा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैंक रहन की स्थिति में रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( उम्मेदसिंह रतन )  
साहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी